कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) जिला कोरिया, छत्तीसगढ़

देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आवेदन पत्र प्रणाली में व्यवस्थापन वर्ष 2010–11

–: विज्ञप्ति :–

क्रमांक/आब./ठेका/2010–11/ कोरिया, दिनांकः– फरवरी 2010

सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिये राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि, कोरिया जिले में स्थित 18 देशी मदिरा एवं 15 विदेशी मदिरा की कुल 33 दुकानों के लायसेंसों को 13 समूहों में वर्ष 2010–11 अर्थात दिनांक 01.04.2010 से 31.03.2011 तक की अवधि के लिए आबंटन, आवेदन प्रणाली से किए जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला–कोरिया में प्रतिदिन कार्यालयीन दिवस पर कार्यालयीन समय में दिनांकः–12.03.2010 सायं काल 5:30 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है। कलेक्टर कोरिया द्वारा उपयुक्त आवेदको में से कम्प्यूटर के माध्यम से लॉटरी निकालकर दुकान/समूहों के अनुज्ञापी (लायसेंसी) का चयन दिनांक 22.03.2010 दोपहर 11:00 बजे से कलेक्टोरेट सभाकक्ष कोरिया में किया जावेगा।

कोरिया जिले की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूहों के नाम एवं समूह में सम्मिलित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूहों के लिए निर्धारित न्यूनतम् प्रत्याभूत मात्रा, ड्यूटी की राशि, लायसेंस फीस की राशि, वार्षिक राजस्व लक्ष्य, लायसेंस फीस का 1/12 वॉ भाग व न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि का 1/12 वॉ भाग प्रतिभूति धनराशि एवं एक माह की लायसेंस फीस की राशि तथा प्रोसेंस फीस की राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	नाम दुकान/समूह का नाम	वर्ष 2010–11 के लिए निर्धारित वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा			वार्षिक ड्यूटी राशि (रूपयों में)			वार्षिक ड्यूटी राशि (योग)	वार्षिक लायसेंस फीस	दुकान/समूह का वार्षिक राजस्व लक्ष्य	वार्षिक ड्यूटी राशि का 1/12 वाँ भाग प्रतिभूति की राशि	वार्षिक लायसेंस फीस का 1/12 वाँ भाग प्रतिभूति की राशि	एक माह की अग्रिम लायसेंस फीस की राशि (माह अप्रैल 2010 का)	समूह का प्रोसेस फीस
		देशी मदिरा (प्रू.लि.में)	विदेशी मदिरा		देशी मदिरा	विदेशी मदिरा								
			स्प्रिट (प्रू.लि. में)	माल्ट (ब.लि.में)		स्प्रिट	माल्ट							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**बैकुण्ठपुर समूह**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	1 वि.म.दु. बैकुण्ठपुर	0	77236	66494	0	5522374	1329880	6852254	10278381	17130635	571021	856531	856540	
	2 दे.म.दु. बैकुण्ठपुर	17352	0	0	937008	0	0	937008	1405512	2342520	78084	117126	117126	
	योगः–	**17352**	**77236**	**66494**	**937008**	**5522374**	**1329880**	**7789262**	**11683893**	**19473155**	**649105**	**973657**	**973666**	**4000=00**
2	**चरचा समूह**													
	1 वि.म.दु. चरचा	0	30612	12270	0	2188758	245400	2434158	3651237	6085395	202847	304270	304267	
	2 दे.म.दु. चरचा	20115	0	0	1086210	0	0	1086210	1629315	2715525	90517	135776	135779	
	योगः–	**20115**	**30612**	**12270**	**1086210**	**2188758**	**245400**	**3520368**	**5280552**	**8800920**	**293364**	**440046**	**440046**	**4000=00**

क्र.	नाम दुकान/समूह का नाम	वर्ष 2010–11 के लिए निर्धारित वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा			वार्षिक ड्यूटी राशि (रूपयों में)			वार्षिक ड्यूटी राशि (योग)	वार्षिक लायसेंस फीस	दुकान/समूह का वार्षिक राजस्व लक्ष्य	वार्षिक ड्यूटी राशि का 1/12 वाँ भाग प्रतिभूति की राशि	वार्षिक लायसेंस फीस का 1/12 वाँ भाग प्रतिभूति की राशि	एक माह की अग्रिम लायसेंस फीस की राशि (माह अप्रैल 2010 का)	समूह का प्रोसेस फीस
		देशी मदिरा (प्रू.लि.में)	विदेशी मदिरा		देशी मदिरा	विदेशी मदिरा								
			स्प्रिट (प्रू.लि.में)	माल्ट (ब.लि.में)		स्प्रिट	माल्ट							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	**पटना समूह**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	1 वि.म.दु. पटना	0	18696	2240	0	1336764	44800	1381564	2072346	3453910	115130	172695	172701	
	2 वि.म.दु. पंडोपारा	0	17392	2166	0	1243528	43320	1286848	1930272	3217120	107237	160856	160856	
	3 वि.म.दु. कटकोना	0	7068	1962	0	505362	39240	544602	816903	1361505	45384	68075	68078	
	योगः–	**0**	**43156**	**6368**	**0**	**3085654**	**127360**	**3213014**	**4819521**	**8032535**	**267751**	**401626**	**401635**	**4000=00**
4	**मनेन्द्रगढ़ समूह**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	1 वि.म.दु. मनेन्द्रगढ़	0	51836	47168	0	3706274	943360	4649634	6974451	11624085	387469	581204	581207	
	2 दे.म.दु. मनेन्द्रगढ़	54584	0	0	2947536	0	0	2947536	4421304	7368840	236628	354942	354942	
	योगः–	**54584**	**51836**	**47168**	**2947536**	**3706274**	**943360**	**7597170**	**11395755**	**18992925**	**624097**	**936146**	**936149**	**4000=00**
5	**झगराखाण्ड समूह**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	1 वि.म.दु. खोंगापानी	0	27060	18675	0	1934790	373500	2308290	3462435	5770725	192358	288536	288539	
	2 दे.म.दु. खोंगापानी	45238	0	0	2442852	0	0	2442852	3664278	6107130	203571	305356	305362	
	3 दे.म.दु. झगराखाण्ड	26204	0	0	1415016	0	0	1415016	2122524	3537540	117918	176877	176877	
	योगः–	**71442**	**27060**	**18675**	**3857868**	**1934790**	**373500**	**6166158**	**9249237**	**15415395**	**513847**	**770769**	**770778**	**4000=00**
6	**पोंड्रीहिल समूह**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	1 वि.म.दु. पोंड्रीहिल	0	43856	21902	0	3135704	438040	3573744	5360616	8934360	297812	446718	446718	
	2 दे.म.दु. पोंड्रीहिल	45800	0	0	2473200	0	0	2473200	3709800	6183000	206100	309150	309150	
	3 दे.म.दु. मोहन कालोनी	16736	0	0	903744	0	0	903744	1355616	2259360	75312	112968	112968	
	योगः–	**62536**	**43856**	**21902**	**3376944**	**3135704**	**438040**	**6950688**	**10426032**	**17376720**	**579224**	**868836**	**868836**	**4000=00**
7	**पोंड़ी कॉलरी समूह**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	1 वि.म.दु. पोंड़ी कॉलरी	0	22224	17890	0	1589016	357800	1946816	2920224	4867040	162235	243352	243352	
	2 वि.म.दु. नागपुर	0	12948	1670	0	925782	33400	959182	1438773	2397955	79932	119898	119895	
	3 दे.म.दु. पोंड़ी कॉलरी	17006	0	0	918324	0	0	918324	1377486	2295810	76527	114790	114796	
	योगः–	**17006**	**35172**	**19560**	**918324**	**2514789**	**391200**	**3824322**	**5736483**	**9560805**	**318694**	**478040**	**478043**	**4000=00**

क्र.	नाम दुकान/समूह का नाम	वर्ष 2010–11 के लिए निर्धारित वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा			वार्षिक ड्यूटी राशि (रूपयों में)			वार्षिक ड्यूटी राशि (योग)	वार्षिक लायसेंस फीस	दुकान/समूह का वार्षिक राजस्व लक्ष्य	वार्षिक ड्यूटी राशि का 1/12 वाँ भाग प्रतिभूति की राशि	वार्षिक लायसेंस फीस का 1/12 वाँ भाग प्रतिभूति की राशि	एक माह की अग्रिम लायसेंस फीस की राशि (माह अप्रैल 2010 का)	समूह का प्रोसेस फीस
		देशी मदिरा (प्रू.लि.में)	विदेशी मदिरा		देशी मदिरा	विदेशी मदिरा								
			स्प्रिट (प्रू.लि.में)	माल्ट (ब.लि.में)		स्प्रिट	माल्ट							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	जनकपुर समूह	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	वि.म.दु. जनकपुर	0	17692	13114	0	1264978	262280	1527258	2290887	3818145	127272	190907	190910	
2	दे.म.दु. जनकपुर	13606	0	0	734724	0	0	734724	1102086	1836810	61227	91840	91846	
3	वि.म.दु. केल्हारी	0	3552	1382	0	253968	27640	281608	422412	704020	23467	35201	35201	
	योगः–	**13606**	**21244**	**14496**	**734724**	**1518946**	**289920**	**2543590**	**3815385**	**6358975**	**211966**	**317948**	**317957**	**4000=00**
9	डोमनहिल समूह	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	वि.म.दु. डोमनहिल	0	25816	14835	0	1845844	296700	2142544	3213816	5356360	178545	267818	267818	
2	दे.म.दु. डोमनहिल	25070	0	0	1353780	0	0	1353780	2030670	3384450	112815	169222	169228	
3	दे.म.दु. 20 नं. दफाई	13026	0	0	703404	0	0	703404	1055106	1758510	58617	87926	87920	
	योगः–	**38096**	**25816**	**14835**	**2057184**	**1845844**	**296700**	**4199728**	**6299592**	**10499320**	**349977**	**524966**	**524966**	**4000=00**
10	कोरिया ब्लाक समूह	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	दे.म.दु. कोरिया ब्लाक	12186	0	0	658044	0	0	658044	987066	1645110	54837	82255	82261	
2	दे.म.दु. गेल्हापानी	12186	0	0	658044	0	0	658044	987066	1645110	54837	82256	82250	
	योगः–	**24372**	**0**	**0**	**1316088**	**0**	**0**	**1316088**	**1974132**	**3290220**	**109674**	**164511**	**164511**	**4000=00**
11	बड़ा बाजार समूह	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	वि.म.दु. बड़ा बाजार	0	27296	17298	0	1951664	345960	2297624	3446436	5744060	191469	287203	287203	
2	दे.म.दु. बड़ा बाजार	27285	0	0	1473390	0	0	1473390	2210085	3683475	122782	184174	184171	
3	दे.म.दु. कपूरसिंह दफाई	26098	0	0	1409292	0	0	1409292	2113938	3523230	117441	176161	176167	
	योगः–	**53383**	**27296**	**17298**	**2882682**	**1951664**	**345960**	**5180306**	**7770459**	**12950765**	**431692**	**647538**	**647541**	**4000=00**
12	बरतुंगा समूह	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	दे.म.दु. बरतुंगा	18952	0	0	1023408	0	0	1023408	1535112	2558520	85284	127926	127926	
	योगः–	**18952**	**0**	**0**	**1023408**	**0**	**0**	**1023408**	**1535112**	**2558520**	**85284**	**127926**	**127926**	**4000=00**
13	गोदरीपारा समूह	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	वि.म.दु. गोदरीपारा	0	29632	22052	0	2118688	441040	2559728	3839592	6399320	213311	319966	319966	

	2	दे.म.दु. गोदरीपारा	49320	0	0	2663280	0	0	2663280	3994920	6658200	226440	339660	339660	
	3	दे.म.दु. कुरासिया	16786	0	0	906444	0	0	906444	1359666	2266110	80037	120055	120061	
		योगः–	**66106**	**29632**	**22052**	**3569724**	**2118688**	**441040**	**6129452**	**9194178**	**15323630**	**519788**	**779681**	**779687**	**4000=00**
		महायोगः–	**457550**	**412916**	**261118**	**24707700**	**29523494**	**5222360**	**59453554**	**89180331**	**148633885**	**4954463**	**7431690**	**7431741**	

आवेदन की शर्तेः–

1. देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूहों के आबंटन के लिए वे ही व्यक्ति/फर्म/कम्पनी आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, जो छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन निर्मित नियमों तथा छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2002 यथा संशोधित के तहत आबकारी लायसेंस प्राप्त करने की पात्रता रखतें हों।

2. आवेदनकर्ता वर्ष 2010–11 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों/समूहों के आबंटन के लिए आवेदन–पत्र व शपथ–पत्र के प्रारूप तथा अशिक्षित/अर्द्धशिक्षित आवेदक हेतु जन्म तिथि के लिए मजिस्ट्रेट/नोटरी के समक्ष दिए जाने वाले शपथ–पत्र का प्रारुप **परिशिष्ट–''एक''** जो इस विज्ञप्ति के साथ भी प्रकाशित किये जा रहे हैं तथा कलेक्टर/जिला आबकारी अधिकारी, जिला–कोरिया/अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार/नगर निगम आदि के कार्यालयों के सूचना पटल पर भी सर्वसाधारण की जानकारी के लिए चस्पा की गई है एवं जिला आबकारी अधिकारी जिला कोरिया के कार्यालय से भी प्राप्त कर सकेगें। तथा आवेदन पत्र व शपथ–पत्र तथा अशिक्षित/अर्द्धशिक्षित आवेदक हेतु जन्म तिथि के लिए मजिस्ट्रेट/नोटरी के समक्ष दिए जाने वाले शपथ–पत्र **परिशिष्ट–''एक''** के निर्धारित प्रारुपों पर ही किसी भी आवेदनकर्ता के द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार आवेदन–पत्र/शपथ–पत्र टंकित/मुद्रित कराकर कोरिया जिले की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूहों के लिए आवेदन किया जा सकेगा। प्रत्येक समूह के लिए पृथक–पृथक आवेदन–पत्र ही स्वीकार किये जावेंगे। आवेदक द्वारा आवेदन–पत्र में पासपोर्ट साईज का फोटो ग्राफ अथवा आवेदन–पत्र में स्कैन की गई फोटो लगाई जा सकती है, जो किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित होना अनिवार्य होगा।

3.. आवेदन–पत्र के साथ संबंधित समूह के लिए **''प्रोसेस फीस''** की राशि जो वर्ष 2010–11 के लिए रूपये 4000/– (अक्षरी रूपये चार हजार मात्र) प्रत्येक समूह हेतु निर्धारित की गई है के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैक से जारी बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक का कैश आर्डर के रूप में अथवा नगद राशि विभाग के मुख्य शीर्ष 0039 राज्य उत्पादन शुल्क, 800–अन्य प्राप्तियां, 0761–विविध प्राप्तियां (देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूह हेतु प्रोसेस फीस) के मद में चालान द्वारा जमा करने का मूल चालान, विहित प्रपत्र में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र तथा पैंन कार्ड एवं आवेदन पत्र में उल्लेखित अनुसार अन्य प्रमाण पत्रों की राजपत्रित अधिकारी/पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत् करना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा आवेदन–पत्र व शपथ–पत्र तथा अशिक्षित/अर्द्धशिक्षित आवेदक हेतु जन्म तिथि के लिए मजिस्ट्रेट/नोटरी के समक्ष दिए जाने वाले शपथ–पत्र के प्रारूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जावेगा तथा शपथ–पत्र, अशिक्षित/अर्द्धशिक्षित आवेदक हेतु जन्म तिथि के लिए मजिस्ट्रेट/नोटरी के समक्ष दिए

जाने वाले शपथ–पत्र, जो पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित हो तथा आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ही स्वीकार किए जावेगें। **प्रोसेस फीस की राशि न तो लायसेंस फीस में समायोजित की जावेगी और न ही यह राशि लायसेंस प्राप्त न होने पर वापसी योग्य होगी।**

प्रोसेस फीस की राशि नगद जमा करने की स्थिति में कोरिया जिले के कोषालय/उपकोषालय में ही जमा की जावेगी।

4. नियमों, मादक द्रव्यों के खपत, निर्धारित न्यूनतम् प्रत्याभूत मात्रा, वर्ष 2010–11 के निर्धारित ड्यूटी दरों आदि की विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला कोरिया के कार्यालय से अवकाश के दिनों को छोड़कर, किसी भी दिन कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है। जो व्यक्ति इस जिले की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूहों को लेने के लिए भाग लेना चाहता हो, वह कोरिया जिले की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूहों के लिए विहित प्रपत्र पर आवेदन पत्र दिनाँक 12.03.2010 सायंकाल 05:30 बजे तक, कोरिया जिले के कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकता है। जिसकी उसे विधिवत् प्राप्ति अभिस्वीकृति दी जावेगी। आवेदन पत्र के साथ प्रत्येक समूह के लिए निर्धारित अनुसार प्रोसेस फीस की राशि के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शैडयूल्ड कमर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/बैंक का कैश आर्डर अथवा नकद राशि कोषालय में जमा करने का मूल चालान, विहित प्रपत्र में पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र, पैंन कार्ड तथा आवेदन पत्र में उल्लेखित अन्य प्रमाण पत्रों की राजपत्रित अधिकारी अथवा पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत् करना अनिवार्य होगा।

5. किसी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूह के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में कलेक्टर, कोरिया द्वारा उपयुक्त आवेदको में से कम्प्यूटर के माध्यम से लॉटरी निकालकर दुकान/समूहों के अनुज्ञापी (लायसेंसी) का चयन दिनांक 22.03.2010 दोपहर 11:00 बजे से कलेक्टोरेट सभाकक्ष, कोरिया में किया जावेगा। चयनित आवेदक को निम्नानुसार दर्शायी गई समय सीमा में अग्रिम लायसेंस फीस तथा प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी।

1. माह अप्रैल 2010 की लायसेंस फीस अग्रिम के रूप में दिनांक 27 मार्च 2010 तक जमा करना अनिवार्य होगा यह राशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शैडयूल्ड कमर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैंक अथवा बैंक के कैश आर्डर के रूप में जमा की जा सकती है।

2. चयनित आवेदक द्वारा समूह के लिए निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस के 1/12 वें भाग के बराबर धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीकृत बैंक अथवा शैडयूल्ड कमर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक गारंटी के रूप में तथा वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि के 1/12 वें भाग के बराबर प्रतिभूति (Security Deposit) की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीकृत बैंक अथवा शैडयूल्ड कमर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैंक अथवा बैंक के कैंश आर्डर के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। **वार्षिक न्यूनतम् प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि का 1/12 वें भाग के बराबर** प्रतिभूति आवेदक को उसके चयन की **सूचना प्राप्ति के तीन दिवस के अन्दर** तथा **वार्षिक लायसेंस फीस के 1/12 वें भाग के बराबर प्रतिभूति दिनांक 30 अप्रैल 2010 तक जमा करना अनिवार्य होगा।**

6. कोरिया जिले की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूहों को आवेदन प्रणाली में आबंटन की कार्यवाही यदि किसी कारण वश नियत तिथि को पूरी नहीं होती है, तो आबंटन हेतु शेष रही दुकानों/समूहों के लिए आवेदन–पत्र आमंत्रित करने की कार्यवाही कलेक्टर, कोरिया द्वारा अन्य घोषित किसी भी दिन की जा सकेगी, जिसके लिए कलेक्टर, कोरिया द्वारा संक्षिप्त विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जावेगा।

7. वर्ष 2010–11 के लिए कोई भी आवेदक (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) कोरिया जिले में एक समूह के लिए एक से अधिक आवेदन–पत्र प्रस्तुत् नहीं कर सकता है।

8.(क) वर्ष 2010–11 के लिए कोरिया जिले में देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के आबंटन के लिए वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है, जो :–

01– भारत का नागरिक हो।

02– आवेदक की आयु 21 वर्ष से अधिक हो।

03– छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के प्रावधानों के अधीन राज्य में आबकारी लायसेंस धारण करने से वर्जित न किया गया हो एवं बकायादार/काली सूची में सम्मिलित न हो। इन नियमों के नियम 13 के अधीन व्यतीक्रमी सूची में भी सम्मिलित न हो। इसी प्रकार किसी अन्य राज्यों के तत्संबंधी प्रावधानों में भी आबकारी लायसेंस धारण करने से वर्जित न किया गया हो एवं बकायादार/काली सूची में सम्मिलित न हो। अन्य राज्यों के संबंध में आवेदक देश के जिन–जिन राज्यों में लायसेंसी रहा है, उन राज्यों से बकायादार/काली सूची में सम्मिलित व्यक्ति नहीं होने संबंधी प्रमाण–पत्र लायसेंस जारी होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर लायसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। यदि इस अवधि में आवेदक द्वारा अपेक्षित प्रमाण–पत्र लायसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत् नहीं किया जाता है तो लायसेंसिंग प्राधिकारी लायसेंस निरस्त कर सकेगा।

04– आवेदक को दुकान/समूह आबंटित होने पर आपत्तिरहित स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त स्थान रखता हो या किराये पर लेने की व्यवस्था कर सकता हो।

05– आवेदक का नैतिक चरित्र अच्छा हो, और उसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि न हो तथा उसको छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 या स्वापक औषधि और मन:प्रभाव अधिनियम, 1985 या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दंडित न किया गया हो।

06– आवेदक के अनुज्ञप्तिधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का वह मूल निवासी है एवं विगत 10 वर्षों में वह जहाँ–जहाँ निवास करता रहा हो वहाॅ के पुलिस अधीक्षकों द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण–पत्र लायसेंस जारी होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर प्रस्तुत् करना होगा कि, उसका चरित्र अच्छा है एवं उसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या अपराधिक इतिहास नहीं है।

07– आवेदक के अनुज्ञप्तिधारी के रूप में चयनित होने पर वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि होगी या जो किसी संक्रामक या छुआछूत रोग से ग्रसित होगा या 21 वर्ष से कम आयु का होगा या महिला होगी।

08– आवेदनकर्ता के ऊपर कोई सरकारी देय न हो।

09– आवेदक आयकर विभाग द्वारा आबंटित स्थायी लेखा संख्या (Permanent Account Number) धारित करता हो।

(ख) व्यवस्थापन नियम 2002 के नियम 9 के खण्ड (क) के उप–खण्ड (1) से (9) तक की शर्तों के प्रमाण स्वरूप आवेदनकर्ता आवेदन–पत्र के साथ ही विहित प्रारूप में पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत् करेगा तथा पैन कार्ड एवं आवेदन–पत्र में उल्लेखित अन्य प्रमाण–पत्रों की राजपत्रित अधिकारी अथवा पब्लिक नोटरी से प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत् करेगा।

स्पष्टीकरण :– शपथ–पत्र स्टाम्प पेपर पर अथवा कोर्ट फीस टिकिट/एडहेसिव टिकिट का उपयोग कर अथवा फैंकिंग विधि से तैयार किया जा सकता है।

(ग) चयन प्रक्रियाके दौरान या बाद में जिला स्तरीय समिति कभी भी आवेदक को नियम एवं शर्तों के पालन की पुष्टि हेतु समक्ष में उपस्थित होने को आदेशित कर सकती है या अन्य कोई प्रमाण/अभिलेख मांग सकती है।

9. आवेदन पत्र के साथ आयु एवं स्थाई निवास के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्रों में से किसी एक प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(क) **आयु के प्रमाण के लिएः–** म्यूनिसिपल अथॉरिटी या रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु जिला कार्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र या अंतिम स्कूल से जारी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र या अशिक्षित/अर्द्धशिक्षित आवेदक द्वारा जन्म तिथि के लिए मजिस्ट्रेट/नोटरी के समक्ष संलग्न **परिशिष्ट–एक** में दिया गया शपथ पत्र या पेनकार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से किसी एक प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न होना अनिवार्य है।

(ख) **स्थायी निवास के प्रमाण के लिएः–** मतदाता परिचय पत्र, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आयकर निर्धारण आदेश, ड्राईविंग लायसेंस, संबंधित राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, जल, टेलीफोन, बिजली बिल, बैंक का जीवित खाता स्टेटमेंट, इनमें से किसी एक प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न होना अनिवार्य है।

10. वर्ष 2010–11 के लिए कोरिया जिले की किसी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूह के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में कलेक्टर कोरिया द्वारा कम्प्यूटर के माध्यम से लाटरी निकालकर दुकानों/समूहों के अनुज्ञापी (लायसेंसी) का चयन किया जावेंगा। कम्प्यूटर द्वारा लाटरी निकालने का कार्य राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (N.I.C.) नेशनल इन्फारमेटिक सेन्टर द्वारा तैयार किए गए साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रणाली में तीन आवेदकों का चयन (प्रथम, द्वितीयएवं तृतीय) किया जावेगा।

(10.1) यहां यह स्पष्ट किया जाता है, कि एक आवेदक/फार्म/कम्पनी को कोरिया जिले में केवल दो समूह की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आबंटन किया जावेगा। अतः इसके लिए सबसे पहले जिन समूहों में कम आवेदन पत्र प्राप्त होते है, पहले उन समूहों के लिए

अनुज्ञापी चयन की कार्यवाही की जावेगी, ताकि पहले घोषित समूहों में यदि किसी आवेदक को दो समूह आबंटित हो जाते है, तो अगले समूह के चयन की प्रक्रिया में उसका चयन होने पर विचार करने का प्रश्न ही उपस्थित नही होगा तथा अगले क्रम पर आने वाले आवेदक से प्रथम, द्वितीय, तृतीय आवेदक का चयन किया जावेगा।

(10.2) यदि प्रथम चयनित आवेदक द्वारा अपने चयन के तीन दिवस के भीतर आवेदन की शर्त क्रमांक–5(2) के अनुसार वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि का 1/12 वाँ भाग प्रतिभूति के लिए जमा नही किया जाता है अथवा अन्य किसी कारण से उसका चयन निरस्त हो जाता है, तो चयन सूची के दूसरे क्रम पर आए आवेदक को संबंधित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान के समूह का आबंटन किया जावेगा।

(10.3) इसी प्रकार यदि दूसरे क्रम के आवेदक के द्वारा भी अपने चयन के तीन दिवस के भीतर कंडिका क्रमांक–05(2) के अनुसार वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि का 1/12 वाँ भाग प्रतिभूति के लिए जमा नही किया जाता है अथवा अन्य किसी कारण से उसका चयन निरस्त हो जाता है, तो चयन सूची के तीसरे क्रम पर आए आवेदक को संबंधित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान के समूह का आबंटन किया जा सकता है। अन्यथा स्थिति में समूह के पुनर्आबंटन की कार्यवाही नियमानुसार की जावेंगी।

11. कम्प्यूटर के माध्यम से लॉटरी निकालने के लिए सर्वप्रथम कोरिया जिले का **कोड क्रमांक** जो **(18)** है। इसके बाद समूह का अनुक्रमांक जो 2 अंक का होगा। तत्पश्चात् आवेदन क्रमांक जो 4 अंको का होगा, अंकित रहेगा।

12. यदि आवेदनकर्ता किसी फर्म/कम्पनी की हैसियत से आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसे फर्म/कम्पनी की ओर से अधिकार पत्र के साथ फर्म/कम्पनी पंजीयन प्रमाण पत्र एवं भागीदारी अभिलेख की प्रमाणिन प्रति संलग्न करना होगा।

13. छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2002 के नियम 17 के अंतर्गत वर्ष 2010–11 से देशी मदिरा के साथ–साथ विदेशी मदिरा (स्प्रिट एवं माल्ट) के प्रत्येक प्रकार के नाम पत्रों (लेबलों) में न्यूनतम् एवं अधिकतम फुटकर बिक्री दर अंकित किये जायेगे।अतः देशी/विदेशी मदिरा का **विक्रय निर्धारित (अंकित) न्यूनतम् विक्रय दर से कम पर तथा निर्धारित (अंकित) अधिकतम विक्रय दर से अधिक पर नहीं किया जावेगा।**

14. देशी मदिरा दुकान से देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा दुकान से विदेशी मदिरा का ही विक्रय किया जावेगा।

15. विज्ञप्ति का प्रकाशन समाचार पत्रों में करवाया जा रहा है। समाचार पत्रों में होने वाली टंकण/मुद्रण त्रुटि के आधार पर आवेदक की आपत्ति मान्य नही होगी।

16. वर्ष 2010–11 में दिनांक 01.04.2010 से विदेशी मदिरा एफ.एल. 1 घ की फुटकर दुकानों से मिनिएचर बोतल अर्थात 90 एम.एल. या 60 एम.एल. की बोतल का विक्रय नही किया जावेगा।

17. वर्ष 2010–11 में देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के खुलने का समय प्रातः 9:00 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक रहेगा।

18 (18.1) वर्ष 2010–11 की ठेकावधि में यदि केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा किसी अधिनियम अथवा नियम के अन्तर्गत मादक पदार्थों पर कोई कर लगाया जावेगा, जो अनुज्ञप्तिधारी इस बाबत् लायसेंस फीस में किसी छूट अथवा क्षतिपूर्ति पाने का हकदार नहीं होगा, और इस संबंध में उसकी कोई आपत्ति मान्य नही होगी।

(18.2) नियमों, मादक द्रव्यों की ,खपत, निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, वर्ष 2010–11 के लिए निर्धारित ड्यूटी दरों आदि की विस्तृत् जानकारी संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से अवकाश के दिनों को छोड़कर, किसी–भी दिन कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

(18.3) आवेदन प्रणाली में देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूहों का आबंटन एवं वर्ष 2010–11 में देशी/विदेशी मदिरा दुकानों का संचालन छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 व उसके अधीन निर्मित नियमों एवं छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 यथा संशोधित, निर्धारित शर्तों एवं निर्बन्धनों तथा राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/कलेक्टर/जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के अनुसार शासित होंगे।

19. **अधिकतम एवं न्यूनतम विक्रय दरों का निर्धारण** :– छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 के नियम 17 के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 के लिए शासन द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा की दृष्टि से देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम फुटकर विक्रय दर नियत की जावेगी, **जिसमें 10% का अंतर रखा जावेगा।** देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा के शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम फुटकर बिक्री दर देशी मदिरा/विदेशी मदिरा प्रदायकर्ता द्वारा प्रत्येक प्रकार के नामपत्रों (लेबलों) पर अंकित किया जावेगा। अनुज्ञप्तिधारी, निर्धारित किए गए न्यूनतम विक्रय मूल्य से कम एवं निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा।

20. **विदेशी मदिरा एफ.एल.1घ फुटकर दुकान को अहाता सुविधा** :– राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार आगामी वर्ष 2010–11 के लिये विदेशी मदिरा एफ.एल.1घ की फुटकर दुकानों के अनुज्ञप्तिधारक को, उसके संलग्न परिसर में उपभोक्ताओं को मदिरा–पान के लिए **नियमानुसार अहाता सुविधा दी जाएगी। विदेशी मदिरा की ऐसी दुकान के अनुज्ञप्तिधारक, जिन्हें विदेशी मदिरा के संलग्न परिसर में अहाता सुविधा दी जाएगी, वह दुकान/स्थान सामान्य प्रयुक्ति नियमों के नियम 1 के अन्तर्गत आपत्तिरहित स्थल पर स्थित होना अनिवार्य है, इसे सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व संबंधित जिले के सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी का होगा।**

21. अनुज्ञप्तिधारी, लायसेंस अवधि की समाप्ति पर देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा के अतिशेष स्टाक के व्ययन (Disposal) के फलस्वरूप, स्थानांतरित की जाने वाली मदिरा की मात्रा पर तत्समय देय ड्यूटी राशि के 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) के बराबर, धनराशि का भुगतान करेगा, जिसका समायोजन आगामी वर्ष की ड्यूटी राशि/लायसेंस फीस में नहीं किया जावेगा तथा स्थानांतरित की जाने वाली मदिरा की मात्रा का भी समायोजन आगामी वर्ष हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में नहीं किया जावेगा।

22. समस्त आवेदक दुकान/समूहों के लिए आवेदन जमा करने के पूर्व आवेदक यह सुनिश्चित कर लेवें के उनके पास आवेदित दुकानों के स्थानों में दुकान खोलनें हेतु आपत्तिरहित स्थान उपलब्ध है। उक्त दुकान/समूहों के आबंटन पश्चात किसी भी प्रकार की अवरोध/जन आंदोलन आदि की स्थिति में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

23. वर्ष 2010–11 में देशी मदिरा का फुटकर अनुज्ञप्तिधारी प्रदाय में ली गई देशी मदिरा की बोतलों में से 50% की सीमा तक काँच की खाली बोतलों को देशी मदिरा प्रदायकर्त्ता को देशी मदिरा विनिर्माण भांडागार में वापस करेगा, जिसके लिए उसे प्रदायकर्त्ता द्वारा उक्त निर्धारित दर से काँच की खाली बोतल की कीमत वापस करेगा।

24. विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों को अनुज्ञप्तिधारी की मांग पर उनके मदिरा दुकान से संलग्न परिसर में उपभोक्ताओं को मदिरा पान के लिए नियमानुसार अहाता सुविधा दी जाएगी, जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी को शासन द्वारा विहित की गई दर से अहाता अनुज्ञप्ति फीस पृथक से जमा करना होगा।

25. केवल शहरी क्षेत्रों में स्थित विदेशी मदिरा दुकानों में विदेशी मदिरा के भण्ड़ारकरण के लिए दुकान के अनुमोदित परिसर में पर्याप्त स्थान न होने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी की मांग पर जिले के कलेक्टर द्वारा आवश्यक जाँचोपरान्त अनुज्ञप्तिधारी को मुख्य दुकान के अनुमोदित परिसर से 100 मीटर की परिधि में स्थित गोदाम में विदेशी मदिरा के भण्डारकरण हेतु अनुज्ञा नियमानुसार दी जा सकती है।

26. वर्ष 2010–11 में संचालित की जाने वाली देशी मदिरा की ड्यूटी राशि की गणना रूपये 54/– प्रति प्रूफलीटर एंव विदेशी मदिरा स्प्रिट की गणना 71.50/– तथा बियर की गणना 20/– रूपये प्रति बल्क लीटर के हिसाब से की गई है।

27. जिले में संचालित देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के राजस्व की गणना वर्ष 2010–11 के लिए 40 प्रतिशत् ड्यूटी राशि एंव 60 प्रतिशत् लायसेंस फीस के रूप की गई है।

28. दुकानों/समूहों के लिए चयनित आवेदकों के द्वारा नियमानुसार 01 अप्रैल 2010 को दुकानों के प्रारम्भ होने के पूर्व दुकानों में कार्य करने वाले अभिकर्ताओं/नौकरों के नौकरनामा के आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

29. **<u>मद्य निषेद्य नीति तथा प्राकृतिक विपत्तियों के फलस्वरूप</u> <u>मदिरा दुकान बंद करना</u>** :– वित्तीय वर्ष 2010–11 में छत्तीसगढ़ राज्य में अथवा किसी पड़ोसी राज्य में मद्य निषेध की नीति कें फलस्वरूप या अन्य कोई भी कारणों से यदि कोई दुकान/समूह की दुकाने बंद की जाती है, तो इसके कारण अनुज्ञप्तिधारी को शासन द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगी। इसी प्रकार यदि पड़ोसी राज्य में मद्य निषेध के कारण अथवा किसी अन्य कारण से राज्य की किसी दुकान/समूह के दुकानों के पुनर्आबंटन करने का निर्णय लिया जाता है अथवा वर्ष 2010–11 के दौरान यदि शासन कोई नवीन दुकान खोलना आवश्यक समझेगा तो वैसा करने का अधिकार आबकारी आयुक्त को होगा तथा उस पर किसी भी अनुज्ञप्तिधारी की आपत्ति मान्य नही की जावेगी और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा छूट किसी भी आपत्तिकर्ता को देय होगी। यदि देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूह के व्यवस्थापन की अवधि के दौरान अनुज्ञप्तिधारी को किसी दैवीय विपत्ति या प्राकृतिक प्रकोप अथवा सामाजिक उपद्रवों, आंदोलनों, कानून व्यवस्था आदि संबंधी समस्याओं के फलस्वरूप किसी प्रकार की कोई क्षति होती है तो अनुज्ञप्तिधारी को किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति शासन द्वारा देय नही होगी।

(आलोक अवस्थी)
कलेक्टर (आबकारी)
जिला कोरिया (छ.ग.)

पृ.क्र–आबकारी/ठेका/2010/ कोरिया, दिनाँकः–

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, वित्त एवं वाणिज्यिकर विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, राजस्व संभाग सरगुजा की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर को विज्ञप्ति की 15 प्रतियॉ भेजकर अनुरोध है कि कृपया उक्त विज्ञप्ति एवं विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन पत्र व शपथ पत्र के प्रारूप का प्रकाशन राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में तत्काल कराने का कष्ट करें।
5. महा प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य ब्रेवरेजेस कार्पोरेशन रायपुर को सूचनार्थ।
6. पुलिस अधीक्षक कोरिया को सूचनार्थ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ।
8. संयुक्त संचालक वित्त कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ।
9. उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर विज्ञप्ति का अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार कराने हेतु प्रेषित।
10. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, संभाग रायपुर/बिलासपुर एंव बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर की ओर विज्ञप्ति का अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार कराने हेतु प्रेषित।

11. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैकुण्ठपुर/चिरमिरी/मनेन्द्रगढ़/जनकपुर/सोनहत की ओर सूचनार्थ।
12. सहायक संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, कोरिया की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
13. तहसीलदार बैकुण्ठपुर/खड़गॅवा/मनेन्द्रगढ़/सोनहत/जनकपुर एंव अतिरिक्त तहसीलदार पटना की ओर सचनार्थ।
14. आयुक्त नगर निगम चिरमिरी की ओर सूचनार्थ।
15. मुख्य नगर पालिका अधिकारी बैकुण्ठपुर/मनेन्द्रगढ़ की ओर सूचनार्थ।
16. सहायक आयुक्त आबकारी जिला–रायपुर/दुर्ग/राजनांदगाव/बिलासपुर/रायगढ़/जॉजगीर–चॉपा एंव कोरबा की ओर सूचनार्थ।
17. जिला आबकारी अधिकारी जिला–धमतरी/महासमुन्द/कबीरधाम/बस्तर/उ.ब.कांकेर/द.ब.दन्तेवाड़ा/जशपुर/सरगुजा की ओर सूचनार्थ
18. प्रभारी अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य ब्रेवरेजेस कार्पोरेशन मंदिर हसौद रायपुर/लिंगियाडीह बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
19. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर/मनेन्द्रगढ़/चिरमिरी/भरतपुर–जनकपुर/सोनहत की ओर सूचनार्थ।
20. आबकारी उप निरीक्षक वृत्त बैकुण्ठपुर/मनेन्द्रगढ/चिरमिरी की ओर सूचनार्थ एंव प्रचार–प्रसार हेतु।
21. मद्य भाण्ड़ागार अधिकारी चिरमिरी/मनेन्द्रगढ़ की ओर सूचनार्थ।
22. ए.डी.आई.ओ. जिला राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, बैकुण्ठपुर जिला कोरिया (छ.ग.) को जिले की वेबसाइट korea.gov.in में विज्ञप्ति को डाऊनलोड कर प्रकाशित करने हेतु।
23. जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय कोरिया के सूचना पटल पर आम जानकारी के लिए चस्पा हेतु।
24. जिला नाजिर कलेक्टोरेट, कोरिया को नोटीस बोर्ड में विज्ञप्ति को चस्पा कराने हेतु अग्रेषित।

(आलोक अवस्थी)
कलेक्टर (आबकारी)
जिला कोरिया (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) जिला कोरिया, छत्तीसगढ़

देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आवेदन पत्र प्रणाली में व्यवस्थापन वर्ष 2010–11

–ः शुद्धि – पत्र ः–

क्रमांक/आब./ठेका/2010–11/ कोरिया, दिनांकः– फरवरी 2010

कोरिया जिले की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूहों के नाम एवं समूह में सम्मिलित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूहों का आवेदन पत्र प्रणाली में व्यवस्थापन वर्ष 2010–11 के लिये **कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमॉक/आब./ठेका/2010–11/265 दिनांक 19.02.2010** में आंशिक संशोधन किया गया है। देशी/विदेशी मदिरा दुकान समूह के **क्रमॉक 04 मनेन्द्रगढ़** एंव **13 गोदरीपारा** के कॉलम **12, 13** एंव **14** में क्रमशः वार्षिक ड्यूटी की राशि का 1/12 भाग प्रतिभूति राशि एंव वार्षिक लायसेंस फीस का 1/12 भाग प्रतिभूति राशि तथा माह अप्रैल 2010 की अग्रिम लायसेंस फीस की राशि को निम्नानुसार पढ़ा जावे :–

क्र.	नाम दुकान/समूह का नाम		वार्षिक ड्यूटी राशि का 1/12 वाँ भाग प्रतिभूति की राशि	वार्षिक लायसेंस फीस का 1/12 वाँ भाग प्रतिभूति की राशि	एक माह की अग्रिम लायसेंस फीस की राशि (माह अप्रैल 2010 का)
1	2		12	13	14
4	**मनेन्द्रगढ़ समूह**		---	---	---
	1	वि.म.दु. मनेन्द्रगढ़	387469	581204	581207
	2	दे.म.दु. मनेन्द्रगढ़	245628	368442	368442
		योगः–	**633097**	**949646**	**949649**
13	**गोदरीपारा समूह**		---	---	---
	1	वि.म.दु. गोदरीपारा	213311	319966	319966
	2	दे.म.दु. गोदरीपारा	221940	332910	332910
	3	दे.म.दु. कुरासिया	75537	113305	113311
		योगः–	**510788**	**766181**	**766187**

(आलोक अवस्थी)
कलेक्टर, (आबकारी)
जिला कोरिया (छ.ग.)

पृ0क्र–आबकारी/ठेका/2010/ कोरिया, दिनांकः– फरवरी 2010

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, वित्त एवं वाणिज्यिककर विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, राजस्व संभाग सरगुजा की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर को विज्ञप्ति की 10 प्रतियॉ भेजकर अनुरोध है की इस कार्यालय के **विज्ञप्ति क्रमॉक/आब./ठेका/2010–11/265 दिनांक 19.02.2010** में आंशिक संशोधन किया गया है, कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का पुनः प्रकाशन राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में तत्काल कराने का कष्ट करें।
5. महा प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य ब्रेवरेजेस कार्पोरेशन रायपुर को सूचनार्थ।
6. पुलिस अधीक्षक कोरिया को सूचनार्थ।

7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ।
8. संयुक्त संचालक वित्त कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ।
9. उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर विज्ञप्ति का अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार कराने हेतु प्रेषित।
10. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, संभाग रायपुर/बिलासपुर एंव बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर की ओर विज्ञप्ति का अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार कराने हेतु प्रेषित।
11. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैकुण्ठपुर/चिरमिरी/मनेन्द्रगढ़/जनकपुर/सोनहत की ओर सूचनार्थ।
12. सहायक संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, कोरिया की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
13. तहसीलदार बैकुण्ठपुर/खड़गॅवा/मनेन्द्रगढ़/सोनहत/जनकपुर एंव अतिरिक्त तहसीलदार पटना की ओर सूचनार्थ।
14. आयुक्त नगर निगम चिरमिरी की ओर सूचनार्थ।
15. मुख्य नगर पालिका अधिकारी बैकुण्ठपुर/मनेन्द्रगढ़ की ओर सूचनार्थ।
16. सहायक आयुक्त आबकारी जिला–रायपुर / दुर्ग / राजनांदगाव / बिलासपुर / रायगढ़ जॉजगीर–चॉपा एंव कोरबा की ओर सूचनार्थ।
17. जिला आबकारी अधिकारी जिला–धमतरी/महासमुन्द/कबीरधाम/बस्तर/उ.ब.कांकेर/द.ब. दन्तेवाड़ा/जशपुर/सरगुजा की ओर सूचनार्थ
18. प्रभारी अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य ब्रेवरेजेस कार्पोरेशन मंदिर हसौद रायपुर/लिंगियाडीह बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
19. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर /मनेन्द्रगढ़ / चिरमिरी / भरतपुर–जनकपुर / सोनहत की ओर सूचनार्थ।
20. आबकारी उप निरीक्षक वृत्त बैकुण्ठपुर/मनेन्द्रगढ/चिरमिरी की ओर सूचनार्थ एंव प्रचार–प्रसार हेतु।
21. मद्य भाण्ड़ागार अधिकारी चिरमिरी/मनेन्द्रगढ़ की ओर सूचनार्थ।
22. ए.डी.आई.ओ. जिला राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, बैकुण्ठपुर जिला कोरिया (छ.ग.) को जिले की वेबसाइट korea.gov.in में विज्ञप्ति को डाऊनलोड कर प्रकाशित करने हेतु।
23. जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय कोरिया के सूचना पटल पर आम जानकारी के लिए चस्पा हेतु।
24. जिला नाजिर कलेक्टोरेट, कोरिया को विज्ञप्ति नोटिस बोर्ड में चस्पा कराने हेतु अग्रेषित।

(आलोक अवस्थी)
कलेक्टर (आबकारी)
जिला कोरिया (छ.ग.)